प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, भदोही।

संख्या - 140 /2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के **पत्रांक- 7356/Main(P)/Admin.(A-3)** Allahabad **दिनांकित 31.05.2019** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि माह मई व जून में प्रातः कालीन न्यायालय का समय सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक होगा और भविष्य में भी माह मई व जून में प्रातः कालीन न्यायालय के संबंध में संबंधित बार एसोसिएशन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह व्यवस्था लागू होगी।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, भदोही द्वारा माह मई व जून, 2025 के लिए प्रातः कालीन समय निर्धारित करने हेतु दिनांक 17.04.2025 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक - 7356/Main(P)/Admin.(A-3) Allahabad दिनांकित 31.05.2019 के अनुक्रम में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, भदोही के प्रस्ताव के अनुसार **भदोही जजशिप के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों का समय माह मई व जून, 2025 के लिए सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। मध्यावकाश का समय 10:30 बजे से 11:00 बजे तक होगा।**

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कार्य को अव्यवस्थित न होने देने के लिए उस न्यायालय के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के लिए मध्यावकाश हेतु भिन्न-भिन्न समय निर्धारित कर सकते हैं।

आदेश की प्रति समस्त न्यायालयों एवं कार्यालयों में परिचालित की जावें, एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, भदोही को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावें एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावें।

सिस्टम ऑफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, भदोही की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

17.04.2025

दिनांक – 17.04.2025

जनपद न्यायाधीश
भदोही।

प्रतिलिपि -

1. महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, भदोही।
3. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, भदोही।
4. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, भदोही।
5. कम्प्यूटर अनुभाग